-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **थाना चिल्ला व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण किए गए बरामद। 02 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- ❖ **अभियुक्त घर में करते थे अवैध शस्त्रों का निर्माण। निर्मित अवैध शस्त्रों की 05 से 06 हजार रुपये प्रति तमंचा बांदा व उसके आस-पास के जनपदों में करते थे बिक्री।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा अवैध शस्त्रों का निर्माण, संग्रहण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर के नेतृत्व में थाना चिल्ला व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध शस्त्रों के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना चिल्ला व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम दिनांक 20.05.2025 की देर शाम अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु भ्रमणशील थी इसी दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पैलानी की ओर से एक मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति संदिग्ध वस्तु लेकर फतेहपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सहूरपुर मोड़ पर बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू की गई, चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किए। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों को पकड़ लिया गया। तलाशी में दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए गए। कड़ाई से पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे अपने घर में अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हैं तथा अवैध निर्मित शस्त्रों की बांदा और उसके आस-पास के जनपदों में 05-06 हजार में बिक्री करते हैं, आज भी वे फतेहपुर की ओर डिलीवरी करने जा रहे थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर अभियुक्त भजना के घर से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं।

बरामदगी-

- ➢ 07 अवैध तमंचा (चालू हालत में)
- ➢ 03 अवैध तमंचा (चालू हालत में नहीं)
- ➢ 01 अवैध रिवाल्वर (चालू हालत में नहीं)
- ➢ 05 जिंदा कारतूस
- ➢ 01 खोखा कारतूस
- ➢ धौंकनी, शिकंजा, नोहाई, हथौड़ी, सुम्मी, छेनी, ब्लेड तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जयसिंह निवासी ग्राम चमराह थाना चिल्ला जनपद बांदा।
2. भजना उर्फ रामभजन प्रजापति ग्राम सुनैचा थाना कबरई जनपद महोबा।

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0सं0 68/25 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 चिल्ला श्री संदीप तिवारी मय टीम
2. प्रभारी एसओजी श्री कृष्णदेव त्रिपाठी मय टीम